राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 1116/2024

बलवान सिहाग पुत्र ओम प्रकाश, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी बोझला, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़.

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से
2. जय नारायण पुत्र मुख राम, निवासी मेहलिया, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़.

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री मनजीत गोदारा

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री मुक्तियार खान, पीपी

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश

04/07/2024

1. याचिकाकर्ता, जो एक विचाराधीन कैदी है, इस न्यायालय के समक्ष अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भादरा, जिला हनुमानगढ़ द्वारा आपराधिक मामला संख्या 871/2022 राजस्थान राज्य बनाम सुरेश कुमार एवं अन्य में दिनांक 02.11.2022 को पारित आदेश को चुनौती दे रहा है। उक्त आदेश के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 323, 342/34 आईपीसी के तहत दंडनीय कथित अपराधों के लिए संज्ञान लिया गया है।

2. यह कहा गया है कि शिकायतकर्ता/प्रतिवादी नंबर 2, जय नारायण ने रिपोर्ट की कि 19.05.2021 को दोपहर 3:30 बजे, जब वह गांव मेहलिया-बोझला के बीच जानवरों को चरा रहा था, आरोपी एक कार में घटनास्थल पर पहुंचे। बलवान सिहाग, सुरेश सिहाग, खिराज मेघवाल और 2-3 अन्य व्यक्ति कार से उतरे और उस पर अवैध शराब बेचने का आरोप लगाने लगे। उन्होंने उसका अपहरण कर लिया, उसे बलवान नामक एक व्यक्ति की फैक्ट्री में ले गए और उसके साथ

मारपीट की।

2.1 जांच के दौरान, पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और विभिन्न अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज किए। जांच के बाद, सुरेश कुमार सिहाग और खिराज के खिलाफ धारा 365, 323, 342 और 34 आईपीसी के तहत आरोप पत्र दायर किया गया। याचिकाकर्ता को निर्दोष पाया गया और किसी भी कथित अपराध में शामिल नहीं पाया गया। इस प्रकार उनके विरुद्ध एक नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट दायर की गई।

3. ट्रायल कोर्ट ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट के संबंध में शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया। शिकायतकर्ता ने नोटिस के जवाब में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भद्रा के समक्ष पेश होकर याचिकाकर्ता के खिलाफ कथित अपराधों का भी संज्ञान लेने की मांग की।

4. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने धारा 365, 323, 342/34 आईपीसी के तहत संज्ञान लिया और आरोपी याचिकाकर्ता को दिनांक 02.11.2022 के आदेश के जरिए जमानती वारंट के जरिए तलब किया। इसलिए, वर्तमान याचिका।

5. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता और विद्वान लोक अभियोजक के विद्वान वकील को सुना है।

6. रिकॉर्ड की समीक्षा करने पर यह स्पष्ट है कि प्रारंभिक जांच एएसआई जय सिंह ने की थी, जो शिकायत का समर्थन नहीं करता था। ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता के कहने पर जांच अधिकारी बदल दिया गया और डिप्टी एसपी रैंक के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सुनील कुमार झाझरिया को नियुक्त किया गया।

7. डीएसपी द्वारा की गई जांच के बाद यह पता चला कि दरअसल शिकायतकर्ता जय नारायण ही गांव में अवैध शराब बेचने में शामिल था। इस प्रकार वह बेईमान चरित्र का पाया गया। परिणामस्वरूप जांच के बाद डिप्टी एसपी द्वारा नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गई।

8. उल्लेखनीय रूप से एक और पहलू यह भी है कि डिप्टी एसपी तीसरे जांच अधिकारी थे। बीच में कुछ समय के लिए डिप्टी एसपी से नीचे के पुलिस अधिकारी सुखराम भी जांच में शामिल थे, लेकिन उनके जांच पूरी करने से पहले ही मामला डिप्टी एसपी को सौंप दिया गया, जिन्होंने भी अंततः याचिकाकर्ता के खिलाफ नकारात्मक रिपोर्ट पेश की।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि दूसरा आई.ओ. भी एक नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट तैयार करने वाला था और शिकायतकर्ता ने आई.ओ. को

बदलने के लिए वरिष्ठों पर दबाव डाला। इस तर्क पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन रिकॉर्ड आई.ओ. को बदलने का कारण निर्दिष्ट नहीं करता है, चाहे वह शिकायतकर्ता या आरोपी के कहने पर हुआ हो।

10. फिर भी, यह न्यायालय उपर्युक्त कथन से चिंतित नहीं है। प्रासंगिक बात यह है कि डिप्टी एसपी रैंक के एक पुलिस अधिकारी ने जांच करने के बाद एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। जब नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट दायर की गई, तो विद्वान मजिस्ट्रेट ने इसे स्वीकार नहीं किया, यह तर्क देते हुए कि आरोपी, एक राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति होने के नाते, जांच को प्रभावित कर सकता है।

11. मेरा मानना है कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई गई दलील पूरी तरह से बेबुनियाद है। इसमें कोई सबूत या रिकॉर्ड पर उपलब्ध कोई सहायक सामग्री नहीं है और यह केवल अनुमान पर आधारित है, जिससे यह टिकने लायक नहीं है।

12. इस प्रकार ट्रायल कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य के बिना और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री पर विचार किए बिना आरोपी याचिकाकर्ता के खिलाफ गलत तरीके से संज्ञान लिया। इसके अलावा, आक्षेपित आदेश धारा 200 और 202 सीआरपीसी के तहत किसी भी बयान की रिकॉर्डिंग के बिना है। परिणामस्वरूप, विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है, और डिप्टी एसपी द्वारा प्रस्तुत नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार किया जाता है। परिणामस्वरूप, रिपोर्ट की स्वीकृति के मद्देनजर, याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर को अनिवार्य रूप से रद्द किया जाना चाहिए। ऐसा आदेश दिया जाता है। बाकी आरोपियों के खिलाफ कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाए।

13. याचिका को उपरोक्त शर्तों के अनुसार अनुमति दी जाती है। लंबित आवेदन(ओं), यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक

उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।